राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :–पुखराज कंसोटिया **RAS**

राजस्व मूल वाद सख्या :– 35/2023

वादीगण	प्रतिवादीगण
01.अनिल कुमार पुत्र दुर्गाप्रासाद अग्रवाल साकिन रातानाडा विस्तार योजना जोधपुर।	01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।
02.कुशलदेव खीची पुत्र श्री हेमसिह जाति राजपूत साकिन राईका बाग जोधपुर।	
03.घनश्याम मंगल पुत्र श्री भंवरजी मंगल जाति अग्रवाल साकीन नेहरू पार्क जोधपुर।	
04.सीमा लीला पत्नी सुरेन्द्र लीली जाति अग्रवाल साकीन शास्त्री नगर जोधपुर।	

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत कतिपय अतिक्रमियो की बेदखली बाबत।

उपस्थितिः

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित
2. प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक 30/6/2023

वादीगण ने एक वाद बाबत खातेदारी से कतिपय अतिक्रमियो की बेदखली हेत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादीगण की खातेदारी एव काश्तकारी की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम मोगडा कला पटवार मण्डल हल्का मोगडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 580/59 रकबा 0.4640 हैक्टर खसरा संख्या 582/59 0.4730 हैक्टर खसरा संख्या 584/60 रकबा 0.6528 हैक्टर जुमले रकबा 1.5898 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि मे प्रत्येक वादी का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से आया हुआ है नकल जमाबन्दी वास्ते मुलाहिजा साथ मे पेश की गई। वादीगण की संयुक्त स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिक्रमियो ने बिना किसी युक्ति युक्त कारण के बिना वादीगण की अनुमति के भूमि पर काबिज अतिक्रमी के रूप में है। वर्तमान में कृषि भूमियो की कीमतो मे भारी इजाफा हुआ है इसी के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

चलते गैर कानूनी रूप से वादीगण जो कम वर्षात के चलते लम्बे समय से पडी रहने की वजह से गलत रूप से अतिकमियो ने मौका देखकर अतिकमण कर लिया है कि वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है उक्त आराजी से अतिकमियो का नाजायज अतिकमण है अतिकमियो के अतिकमण को हटाकर कब्जा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है अतिकमी बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अतिकमण कर रखा है जिसका कोई अतिकमी के पास आधार नही है वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिकमी का अनाधिकृत अतिकमण है तथा वादीगण ने अतिकमी को कई बार समझाईश की जा चुकी है आपने नाजायज अतिकमण किया है लेकिन अतिकमी अपनी हठधर्मिता पर अडा हुआ है तथा मौके पर अराजकता फैलाने एव मौके पर खून खच्चर करने पर उतारू है जबकि वादीगण शांति एव अमन चयन चाहते है तथा कानून को हाथ मे लेना नही चाहते है इसलिए वादीगण ने यह वाद बाबत कतिपय अतिकमियो की बेदखली हेतु माननीय न्यायालय मे वाद दायर की गया। कि वादीगण की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का काब्जा अनाधिकृत कब्जा है तथा अनाधिकृत कब्जा की धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हटाया जा सकता है वादीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कई बार मौके पर गये तथा अपनी भूमि को डवलप करने एवं उपजाऊ कर उसमे फसल बोने हेतु कर संभव प्रयास किये लेकिन अतिकमी मौके पर झगडा फिसाद करने एव मौके पर बिना कोई टाईटल के अपनी कृषि भूमि बताकर वादीगण को तंग परेशान किया जा रहा है। इसलिए वादीगण की कृषि भूमि पर अतिकमी ने गैर कानूनी रूप से अतिकमण बिना वैध अधिकार के कर रखा है उसे मौके से बेदखली करने एवं अतिकमी ने प्रत्येक कृषि वर्ष मे अतिकमण कर रखा है इसलिए शास्ति के तौर पर रकम देने का भागी भी होगा। कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जो रेकर्डेड खातेदार है वह ही उस कृषि भूमि का मालिक काबिज है यदि सभी तथ्यो परिस्थितियो एव राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाये तो समवर्ती निष्कर्ष निकलता है कि विवादित कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है अतिकमी का विवादित कृषि भूमि पर अनधिकृत अतिकमण एव प्रतिफल आधिपत्य है इसलिए ऐसे अतिकमण को हटाया जाना विधि सम्मत है। कि विनाय दावा बहक वादीगण विरूद्व अतिकमीगण बमुकाम मोगडाकला जिला जोधपुर मे दिनांक 15.05.2023 को पैदा हुआ जब वादीगण अच्छी वर्षात होने से अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गये तो मौके पर अतिकमी अन्य व्यक्ति मोके पर मिले ने एलानिया तौर से वादीगण को धमकाया कि विवादित कृषि भूमि पर आने की हिमाकत की तो जाने से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

हाथ धोना पडेगा वादीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि के नकल जमाबन्दी एव दस्तावेज बताये गये लेकिन अतिकमी एव उनके साथ आये लोग मानने को तैयार नही हुए मौके पर झगडा फिसाद करने लगे तव वाद कारण पैदा हुआ तथा उसके वाद लगातार वाद कारण पैदा हे तथा उक्त वाद कारण की जानकारी से अन्दर मियाद यह वाद इस माननीय न्यायालय मे पेश किया गयां। वादीगण की स्वमित्व की खातेदारी कृषि भूमि पर से कतिपय अतिकमियो की बेदखली की डिकी बहक वादीगण विरूद्व अतिकमी ग्राम मोगडा कला पटवार मण्डल हल्का मोगडा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 580/59 रकबा 0.4640 हैक्टर खसरा संख्या 582/59 0.4730 हैक्टर खसरा संख्या 584/60 रकबा 0.6528 हैक्टर जुमले रकबा 1.5898 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। प्र से अतिकमी अतिकमियो मौके से बेदखली हेतु तहसीलदार लूणी को हिदायम देते हूए डिकी पारित की जाने का निवेदन किया गया ।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नोटिस बाद तामिल लोटे तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो शामिल मिसल है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 614 के खातेदारान का मौके पर कब्जा नहीं हैं ।

हमने बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी वादीगण ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी के खसरा संख्या 580/59 रकबा 0.4640 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/59 रकबा 0.4730 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 584/60 रकबा 0.6528 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार हैं जिस पर यदि कोई अन्य व्यक्ति काबिज हैं तो उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं जबकि रेकर्डेड खातेदारों का ही कब्जा काश्त होना विधिक अनुरूप सही हैं । ऐसी स्थिति में वादीगण का बाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वांद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी के खसरा संख्या 580/59 रकबा 0.4640 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/59 रकबा 0.4730 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 584/60 रकबा 0.6528 हैक्टेयर कृषि भूमि पर रेकर्डेड खातेदारों के अलावा जिन जिन भी व्यक्तियों का कब्जा हैं उन्हें बेदखल करते हुए उक्त तीनो खसरान का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावें । तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पुखराज [illegible])
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 30/6/2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कंसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 35/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
01 अनिल कुमार पुत्र दुर्गाप्रासाद अग्रवाल साकिन रातानाडा विस्तार योजना जोधपुर। 02.कुशलदेव खीची पुत्र श्री हेमसिह जाति राजपूत साकिन राईका बाग जोधपुर। 03.घनश्याम मंगल पुत्र श्री भंवरजी मंगल जाति अग्रवाल साकीन नेहरू पार्क जोधपुर। 04.सीमा लीला पत्नी सुरेन्द्र लीली जाति अग्रवाल साकीन शास्त्री नगर जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 35/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी के खसरा संख्या 580/59 रकबा 0.4640 हैक्टेयर, खसरा संख्या 582/59 रकबा 0.4730 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 584/60 रकबा 0.6528 हैक्टेयर कृषि भूमि पर रेकर्डेड खातेदारों के अलावा जिन जिन भी व्यक्तियों का कब्जा हैं उन्हें बेदखल करते हुए उक्त तीनो खसरान का कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावें

नीज.........................मुबलिक.........................बाबत.........................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.........................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.........................को अदा करें।
बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30/6/2023 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प अरजी दावा		
स्आम्प			स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner